23–समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः बी1–3–126/2019– 6888 पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 ई0।

प्रेषक,

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर, किशनगंज, दरभंगा,
सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका।

विषय :– 23–समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 54–किशनगंज, 76–सिमरी बख्तियारपुर, 109–दरौंदा, 158–नाथनगर एवं 163–बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2019 – Use of Bulk SMSs/voice messages in political campaigning - regarding.

प्रसंगः– श्री धीरेन्द्र आझा, निदेशक, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक 491/MedialPolicy/2015/ Communication दिनांक 28 मई, 2015.

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ किया जाये, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि आयोग के उल्लिखित पत्र में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराया जाये एवं इस पत्र की प्रति संबंधित प्रेक्षक/निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/अन्य संबंधित पदाधिकारियों तथा अभ्यर्थियों, जिलास्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

अनु०:– यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

25/9/2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– बी1–3–126/2019– 6888 पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, निर्वाची पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, सिवान, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर, एवं निर्वाची पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, बांका को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथा उपर्युक्त।

25/9/2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– बी1–3–126/2019– 6888 पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथा उपर्युक्त।

25/9/2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– बी1–3–126/2019– 6888 पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 ई0

प्रतिलिपि :– सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथा उपर्युक्त।

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 491/MediaPolicy/2015/Communication *Dated: 28th May, 2015*

ORDER

Subject: Pre-Certification of political advertisements- Use of bulk SMSs /voice messages in political campaigning-reg

The Commission has taken cognizance of the fact that political parties/ candidates often use bulk SMSs and recorded voice messages in their election campaigning. Likewise, their supporters/workers and other organizations supporting them also resort to the said method of carrying out election campaign on their behalf. Apart from use of normal SMS gateway through mobile, internet is also linked with the mobile gateways to send SMSs and recorded messages. This feature may also be sometimes misused for sending malicious and vilifying materials in political campaigning and thereby violating electoral and criminal laws and Model Code of Conduct relating to elections. The Commission vide its letter no. 464/INST/2008/EPS dt 5/11/2008 has already issued direction regarding monitoring of such bulk SMSs by police authorities and inclusion of expenditure on such bulk SMSs into election expenditure accounts of the candidates (copy enclosed).

2. The Commission has now decided that it is necessary to monitor the contents of such bulk SMSs to the electors during election process so that objectionable contents are not transmitted through this medium. As per law, the said medium of Communication - through SMSs is also part of 'electronic media' by definition. The Commission, vide its order no. 509/75/2004/JS-I dated 15/4/2004, and the subsequent order dated 18/3/2009, has put in place mechanism at district and state level for certifying political advertisements on TV channels, Cable Network and Radio. The Commission has decided that the directions in the said order shall hereinafter apply *mutatis mutandis* to the use of bulk SMSs/voice messages over phone for political campaigning during elections.

3. Accordingly, in continuation of Commission's earlier letter dated 27th August, 2012 and 25th October, 2013, in regard to certification of political advertisement on election media including Social media, the Commission has directed that bulk SMSs/voice messages on phone in election campaigning shall also be in the purview of pre-certification of election advertisements as in case of TV Channels/Cable Network, Radio including private FM Channels, Cinema Halls, audio-visual displays in public places and Social Media. Legal provisions, as apply on other mode of electronic media, shall also be applicable on bulk SMSs/voice messages. The procedure prescribed in the order dated 15.4.2004 shall be followed for this purpose.

4. The above may be brought into the notice of State/District MCMCs, political parties/ candidates mobile service providers and all others concerned.

By order,

Dhirendra Ojha
(Director)

To,

Chief Electoral Officers of All States / UTs.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 491/मीडिया नीति/2015/संचार दिनांक : 28 मई, 2015

आदेश

विषय : राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन-राजनैतिक प्रचार अभियान में बल्क एसएमएस/वॉयल मैसेज का प्रयोग-तत्संबंधी।

आयोग ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि राजनैतिक दल/अभ्यर्थी अपने निर्वाचन प्रचार अभियान में प्राय: बल्क एसएमएस/रिकार्ड वॉयस मैसेज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह, उनके समर्थक/कार्यकर्ता एवं उनका समर्थन करने वाले अन्य संगठन भी उनकी ओर से निर्वाचन प्रचार अभियान करने के लिए उक्त तरीके का सहारा लेते हैं। मोबाइल के माध्यम से सामान्य एसएमएस गेटवे का प्रयोग करने के अलावा, एसएमएस एवं रिकार्ड मैसेज भेजने के लिए इंटरनेट को भी मोबाइल गेटवे से जोड़ा जाता है। राजनैतिक प्रचार अभियान में दुर्भावनापूर्ण एवं निन्दापरक सामग्रियों को भेजने के लिए कभी-कभी इस सुविधा का दुरूपयोग भी किया जा सकता है और इस प्रकार निर्वाचनों से संबंधित निर्वाचन एवं दंड विधि और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। आयोग ने पुलिस प्राधिकारियों द्वारा ऐसे बल्क एसएमएस का अनुरक्षण करने एवं अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखों में ऐसे बल्क एसएमएस का व्यय शामिल करने के संबंध में अनुदेश दिनांक 5/11/2008 के अपने पत्र सं. 464/अनुदेश/2008/ईपीएस के द्वारा पहले ही जारी कर दिए हैं (प्रति संलग्न)।

2. आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को भेजे जाने वाले ऐसे बल्क एसएमएस की सामग्रियों का अनुरक्षण किया जाना आवश्यक है ताकि इस माध्यम से आपत्तिजनक सामग्रियां प्रसारित न की जा सकें। विधि के अनुसार, एसएमएस के माध्यम से संचार का उक्त माध्यम परिभाषिक तौर पर 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' का ही एक भाग है। आयोग ने दिनांक 15/4/2004 के अपने आदेश सं.

509/75/2004/जेएस-I एवं दिनांक 18/3/2009 के उत्तरवर्ती आदेश के द्वारा टी वी चैनलों, केवल नेटवर्क और रेडियो पर राजनैतिक विज्ञापनों को प्रमाणित करने के लिए जिले एवं राज्य स्तर पर एक तंत्र स्थापित किया है। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उक्त आदेश में निहित निदेश, इसके पश्चात, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक प्रचार अभियान करने के लिए फोन पर बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज का प्रयोग करने पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

3. तद्नुसार, सोशल मीडिया सहित निर्वाचन मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन के प्रमाणन के संबंध में आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 एवं 25 अक्तूबर, 2013 के पूर्व पत्रों के क्रम में, आयोग ने निदेश दिया है कि निर्वाचन प्रचार अभियान में फोन पर बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज भी निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के परिक्षेत्र में होंगे जैसा कि टी.वी. चैनलों/केवल नेटवर्क, निजी एफएम चैनेलों सहित रेडियो, सिनेमा हाल, सार्वजनिक स्थानों एवं सोशल मीडिया में प्रदर्शित ऑडियो-वीडियो के मामले में है। विधिक प्रावधान, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य माध्यमों पर लागू होते हैं वैसे ही बल्क एसएमएस/वॉयस मैसेज पर भी लागू होंगे। दिनांक 15.04.2004 के आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का इस प्रयोजनार्थ अनुसरण किया जाएगा।

4. उपर्युक्त को राज्य/जिला एमसीएमसी, राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों, मोबाइल सेवा प्रदाता एवं अन्य संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

आदेश से,

धीरेन्द्र ओझा
(निदेशक)

सेवा में,

सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।